राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1019/2011/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मेक्का हैल्थकेयर प्रा0 लिमिटेड,
99, G.I.D.C., कलोल, गांधीनगर, नॉर्थ गुजरात. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री के. एल. राठी, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22/06/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 139/आरवेट/जेयूसी/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.02.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 03.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.12.2009 को वाहन संख्या आर.जे.19/जीए–8878 को बिसलपुर फांटा में चैक किये जाने पर वाहन में **'आई.वी.सेट्स'** गुड़गांव (यू.पी.) से कलोल, गांधीनगर (गुजरात) के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा इस वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स ईस्टर्न मेडिकिट लिमिटेड गुड़गांव का इन्वॉयस संख्या 297 दिनांक 28.11.2009, आउटवार्ड नोट नं0 147 दिनांक 28.11.2009, गुजरात सरकार का फॉर्म 403 एवं मैसर्स मेक्का हैल्थकेयर प्रा0 लि0 गुड़गांव के श्री नितिन शर्मा का मैसर्स ईस्टर्न मेडिकिट लिमिटेड को किया गया ई–मेल, जिसमें माल की डिलीवरी कलोल गांधीनगर (गुजरात) के स्थान पर जोधपुर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे, प्रस्तुत किये गये। वाहन चालक ने अपने बयानों में जाहिर किया कि वह माल जोधपुर में उतारेगा। उक्त आधारों पर सक्षम अधिकारी ने यह अवधारित करते हुए कि माल के दस्तावेज गुड़गांव से गांधीनगर के बनाये गये हैं, जबकि माल जोधपुर में उतारा जायेगा तथा जोधपुर से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः करापवंचन

लगातार.....2

की मंशा से माल का परिवहन किया जाना मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में श्री रोहित शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर मेक्का हेल्थकेयर प्रा0 लि0 जोधपुर ने जवाब प्रस्तुत किया कि आयातित माल उनकी कलोल स्थित फर्म ने मैसर्स ईस्टर्न मेडिकिट लिमिटेड गुड़गांव को जरिये इन्वॉयस संख्या 279 दिनांक 14.11.2009 एवं बिल्टी संख्या 1065 दिनांक 14.11.2009 विक्रय किया गया था, किन्तु उक्त माल डिफेक्टिव होने से वापस आ रहा था तथा गुड़गांव से कलोल का किराया अधिक होने के कारण जोधपुर स्थित फर्म में उतारा जाना था। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 89,219/— एवं वैट रूपये 11,896/— का आरोपण आदेश दिनांक 03.12.2009 से किया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2011 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित जोधपुर से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं पाये गये, जबकि वाहन चालक एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी के ई—मेल से स्पष्ट था कि माल जोधपुर में उतारा जाना है। अतः स्पष्ट रूप से प्रावधानों के उल्लंघन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति एवं वैट का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को सुविचारित किये बिना सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि उनके द्वारा माल क्रय नहीं किया गया था बल्कि पूर्व में विक्रय किया गया माल डिफेक्टिव होने से रिटर्न हो रहा था। इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज प्रत्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये थे। अतः प्रकरण में उनकी किसी प्रकार की करापवंचन की मंशा नहीं थी। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....3

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आयातित/विवादित माल प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जरिये इन्वॉयस संख्या 279 दिनांक 14.11.2009 एवं बिल्टी संख्या 1065 दिनांक 14.11.2009 मैसर्स ईस्टर्न मेडिकिट लिमिटेड गुड़गांव को विक्रय किया गया था, किन्तु डिफेक्टिव होने के कारण रिटर्न किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में मैसर्स ईस्टर्न मेडिकिट लिमि. के पत्र भी सक्षम अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध हैं। चूंकि माल प्रत्यर्थी व्यवहारी की कलोल, गांधीनगर इकाई द्वारा विक्रय किया गया था, अतः गांधीनगर इकाई को ही रिटर्न किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी के अनुसार गुड़गांव से कलोल का भाड़ा अधिक होने के कारण उनके द्वारा माल जोधपुर इकाई, जो कि उनकी सिस्टर कन्सर्न है, में उतारे जाने बाबत निर्देश दिये गये थे, उसी की पालना में वाहन चालक द्वारा माल को जोधपुर इकाई में ले जाया जा रहा था। इस सम्बन्ध में सभी दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष उपलब्ध करा दिये गये थे। इसके बावजूद सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कोई अग्रिम जांच किये माल को बिना दस्तावेज आयात किया जाना अवधारित करते हुए शास्ति एवं वैट आरोपित किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की गयी है।

7. हस्तगत प्रकरण के सदृश तथ्यों के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं0 12/2006 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी भरतपुर बनाम मैसर्स एमटेक इण्डिया लिमिटेड में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2006 में** निम्न निर्णय पारित किया गया है :–

> "5. One fails to understand how learned CTO without holding any inquiry into these documents produced by assessee/driver of the vehicle at the time of checking, the invoice of prior date could perse be treated as non-genuine or forged document. This court summoned the record of the case and perused the original record. The documents including the declaration issued by Sales tax Authorities of both the States clearly establish that transit and transaction was perfectly genuine and there was absolutely no reason for Assessing Authority to just go by fidget of his imagination that merely because the invoice bears the date prior in point of time, such document should be held to be non-genuine so as to attract heavy penalty of 30% of the value of goods under Sec. 78(5) of the Act. Such flimsy and unjustified stand on the part of authorities of sales-tax department seriously impede and jeopardize the free flow of trade in

लगातार.....4

the country which is the constitutional guarantee under Art. 19(1)(d) of the Constitution of India. The course left open to the assessee after imposition of such illegal penalties is nothing but to approach the higher appellate forums and more often than not litigation travels upto this court and Hon'ble Supreme Court and in the entire process, it is only the assessee who suffers, but the authority of the department who imposes such penalty on flimsy grounds is not held accountable at all despite causing all such litigation, loss of productive man hours and money."

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी सिविल अपील संख्या 896/2007 में दिनांक 22/02/2007 को निर्णय पारित करते हुए, न्यायिक दृष्टान्त (2007) 6 वी.एस.टी. 242 (एस.सी.), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए निम्न निर्णय पारित किया गया है :—

"In this case though the action of the concerned assessing officer, in overlooking the documents produced coming to the conclusion about manipulation appears to be totally uncalled for and without any reasonable basis. This is a case where the officer should have been more careful and should not have acted in a manner as if he was a bloodhound and not a watchdog of revenue. It is unfortunate that in large number of cases, orders totally bereft of rationality are being passed. They do not in any manner serve public interest, much less the interest of revenue."

9. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के करापवंचन मानते हुए शास्ति आरोपण को अनुचित ठहराया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में भी समस्त स्थिति सक्षम अधिकारी के समक्ष उपलब्ध थी, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिये जाने के बावजूद बिना किसी जांच के इन्हें अस्वीकार करते हुए शास्ति व वेट का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का अविधिक रूप से पारित किया गया आदेश अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

10. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

22/06/201

(मनोहर पुरी)
सदस्य